



श्रम विभाग मध्यप्रदेश शासन

प्रपत्र (ग)

(नियम 3 (3) देखिये)

(मध्यप्रदेश दुकान एवं स्थापना अधिनियम, 1958)

स्थापना का पंजीयन प्रमाण पत्र

Auto Generated

भाग - क



कार्यालय: District Labour Office, GWALIOR

(1) पंजीयन क्रमांक: GWAL260223SE001045

(2) स्थापना का नाम: SHRI PARASNATH GLASSES & AUTOMOTIVE

(3) स्थापना का (डाक का) पूरा पता: JAYENDRAGANJ BHASKAR LANE UDAYGIRI APARTMENT SHOP NO 1 GWALIOR
Dist.-GWALIOR

(4) स्थापना का कारोबार, व्यापार या व्यवसाय का स्वरूप: Commercial Establishment

(5) मालिक, प्रबंधक, अभिकर्ता (एजेंट) अथवा अन्य कोई व्यक्ति, जिसके अधीन या नियंत्रण में स्थापना का कार्य संचालन होता हो

	नाम	पिता / पति का नाम	पता
मालिक	RAJESH JAIN	NIRANJAN LAL JAIN	FLAT NO 103 104 VIKASDEEP APARTMENT VIVEKANAND ROAD NAI SADAK LASHKAR GWALIOR
प्रबंधक	RAJESH JAIN	NIRANJAN LAL JAIN	FLAT NO 103 104 VIKASDEEP APARTMENT VIVEKANAND ROAD NAI SADAK LASHKAR GWALIOR
अभिकर्ता	NO	-	NO

(6) स्थापना में सेवा नियोजक के रूप में हित रखने वाले अन्य व्यक्ति (व्यक्तियों) यदि कोई हो तो, उनका नाम, पद और राज्य में उसका पूरा पता:

स.क्र.	नाम	पद	पता
1	RAJESH JAIN	PARTNER	FLAT NO 103 104 VIKASDEEP APARTMENT VIVEKANAND ROAD NAI SADAK LASHKAR GWALIOR
2	SAPNA JAIN	PARTNER	FLAT NO 103 104 VIKASDEEP APARTMENT VIVEKANAND ROAD NAI SADAK LASHKAR GWALIOR
3	MAYANK JAIN	PARTNER	FLAT NO 103 104 VIKASDEEP APARTMENT VIVEKANAND ROAD NAI SADAK LASHKAR GWALIOR

(7) सेवायुक्तों की कुल संख्या	पुरुष	महिला	योग
पंजीयन शुल्क Rs. 200.00/-	2	0	2

प्रमाणित किया जाता है कि स्थापना जिसका विवरण ऊपर दिया गया है, मध्यप्रदेश दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1958 (क्र. सन 1958) के अंतर्गत आज दिनांक 23/Feb/2026 को पंजीयन की गई है।

कार्यालय

District Labour Office, GWALIOR

History of Registration, Renewal & Amendments

Sr.	Date of Issue	Certificate Type	Fees paid	Validity	Date of Commencement of business	Date of First Registration
1	23/02/2026	Fresh	200.00	Life Time	01/02/2026	23/02/2026

वैधानिक / महत्वपूर्ण सूचना

1. यह एक सिस्टम द्वारा उत्पन्न प्रमाणपत्र है तथा इसके लिए किसी भौतिक या डिजिटल हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है। इस प्रमाणपत्र की प्रामाणिकता ऑनलाइन <https://Labour.MPOOnline.gov.in> पर सत्यापित की जा सकती है।
2. यदि आवेदक द्वारा दी गयी जानकारी या अपलोड किये गए दस्तावेजों में किसी भी प्रकार की अनियमितता पाई जाती है तो विभाग द्वारा ऑन-लाईन प्रदत्त पंजीयन रद्द करने तथा आवेदक के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही की जा सकती है।
3. यह पंजीयन प्रमाण पत्र बैंक लोन / स्वामित्व एवं संपत्ति विवाद / न्यायालय में जमानत / GST पंजीयन प्राप्त करने या अन्य प्रयोजन के लिए उपयोग करने पर श्रम विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।
4. यह पंजीयन व्यवसाय करने की अनुमति नहीं है। इस हेतु सक्षम प्राधिकारी से पृथक से अनुमति प्राप्त करना होगी।